Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 GISRRJ | Volume 6 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

हिन्दू महिलाओं से सम्बद्ध सामाजिक विधानों तथा संशोधनों के प्रति महिलाओं में प्रतिक्रियाएँ (दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के संदर्भ में)

डॉ. उदयवीर सिंह
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, के.के. (पी.जी.) कॉलेज, इटावा, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Publication Issue :
Volume 6, Issue 1
January-February-2023
Page Number : 10-14

Article History
Accepted : 01 Jan 2023
Published : 25 Jan 2023

शोधसारांश – दहेज निरोधक अधिनियम को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सुझाव दें तो प्रत्युत्तर में शत–प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया कि दहेज निरोधक अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू किया जाय एवं दोषियों के लिए कठोरतम दण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, ताकि उल्लंघन करने वालों से समाज के अन्य व्यक्ति भी सबक लें। सरकार की कथनी व करनी में अन्तर न हो तो दहेज निरोधक अधिनियम महिलाओं की प्रस्थिति सुधारने में सक्षम हो सकेगा। महिलाओं को भी शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाया जाए जिससे वे अपने ऊपर हो रहे अन्याय व अत्याचार का प्रतिकार करने में सक्षम हो सकें।

मुख्य शब्द – हिन्दू, महिला, सामाजिक, विधान, दहेज, अधिनियम।

प्रस्तावना – सामाजिक जीवन के सुचारू संचालन के लिए कुछ प्रथाएँ, परम्पराएँ तथा सामाजिक नियमों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है परन्तु सामाजिक नियंत्रण के लिए सामाजिक विधानों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। होल्मस ने सामाजिक विधानों की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि– "आज का विधान (अधिनियम) कल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। भारत में नारी की गिरती हुई प्रस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं से सम्बद्ध सामाजिक विधानों की आवश्यकता महसूस की गई।"

सामाजिक विधान का आशय राज्य द्वारा पारित उन अधिनियमों से होता है जो समाज की भलाई के लिए सामाजिक विघटन को रोकने, सामाजिक कुरीतियों तथा बुराईयों को समाप्त करने एवं समाज सुधार के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। कभी–कभी किसी सामाजिक व्यवस्था में ऐसी सामाजिक संस्थाएँ, कुरीतियाँ तथा सामाजिक सम्बन्ध विकसित हो जाते हैं जो कि मानव–हित के बजाय उसके जीवन के लिए अत्यधिक कष्टदायी सिद्ध होते हैं। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए अथवा समाप्त करने के लिए समाज के चेतन एवं विचारशील व्यक्ति सामाजिक आन्दोलन प्रारम्भ कर देते हैं, हमारा अतीत इसका ज्वलन्त उदाहरण है। परिणामस्वरूप "समाज सुधार की परिणति होती है। इसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए, क्रिया–प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए राज्य की ओर से कानून या अधिनियम पारित किए जाते हैं अथवा फिर उनमें (जो पूर्व अधिनियम पारित हो चुके हैं) में संशोधन पारित किए जाते हैं।" सामाजिक अधिनियम (विधान) कहलाते हैं। समकालीन (आधुनिक) परिवेश में प्रत्येक प्रगतिशील देश में सामाजिक विधानों की उपयोगिता है, परन्तु हमारे देश में जहां पर युवक तथा युवतियों के जीवन को मुरझा डालने वाली सामाजिक समस्याओं, बुराइयों एवं कुरीतियों का साम्राज्य है, सामाजिक विधानों का महत्व और

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Shauryam Research Institute. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

अधिक बढ़ जाता है। समाज की किसी भी विघटित व्यवस्था का कारण, व्यक्ति की अपेक्षा सामाजिक परिस्थितियों पर अधिक निर्भर है। अपराध, बाल अपराध, बेकारी, निर्धनता, मद्यपान, वैश्यावृत्ति आदि का कारण जन्मजात न होकर परिस्थितियों की देन है। ऐसी विषम परिस्थितियों में केवल राज्य ही सामाजिक विधानों में संशोधन करके अथवा नवीन विधान पारित करके विषम परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता है या फिर सामंजस्य स्थापित कर सकता है। इस प्रकार प्रजातांत्रिक ढांचे में सामाजिक एवं आर्थिक त्याग एवं समता की स्थापना में विधान एक अत्यन्त गतिशील मान सिद्ध हो सकता है। उक्त तथ्यों के आलोक में शोधार्थी ने हिन्दू महिलाओं से सम्बद्ध सामाजिक विधानों तथा संशोधनों के प्रति महिलाओं की प्रतिक्रियाओं (दहेज निरोधक अधिनियम–1961 के संदर्भ में) का विश्लेषण करने का प्रयास है।

अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं–

1. सूचनादाताओं की सामाजिक–सांस्कृति पृष्ठभूमि ज्ञात करना।
2. दहेज निरोधक अधिनियम के प्रति सूचनादाताओं के दृष्टिकोण जानना।
3. दहेज निरोधक अधिनियम के प्रति सूचनादाताओं की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना।
4. दहेज निरोधक अधिनियम में संशोधन के प्रति सूचनादाताओं के अभिमत जानना।
5. निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन पद्धति –प्रस्तुत सूक्ष्म आनुभविक अध्ययन को सम्पादित करने के लिए उ.प्र. के मैनपुरी जनपद में 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक की अवधि में पंजीकृत तहसील न्यायालयीन कुल 401 प्रकरणों में से कुल 300 विवाहित महिलाओं के प्रकरणों का चुनाव किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु सामाजिक सर्वेक्षण की साक्षात्कार अनुसूची विधि की प्रत्यक्ष पूछताछ प्रविधि तथा असहभागी अवलोकन को अपनाया गया है ताकि तथ्यात्मक निष्कर्ष प्राप्त हो सकें। अध्ययन हेतु साँख्यिकी की विश्लेषण पद्धति को अपनाया गया है।

तथ्य संकलन एवं विश्लेषण– तालिका नम्बर–1 : निदर्शितों की वैयक्तिक एवं सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

क्रमांक	निदर्शितों की आवृत्तियाँ (प्रतिशत)					योग
	परिवर्त्य					
1	आयु (वर्षों में)	20–30 45 (15.00)	30–40 95 (31.66)	40–50 110(36.66)	50 से ऊपर 50 (16.66)	300 (100.00)
2	वैवाहिक स्थिति	विवाहित 78(26.00)	विधवा 112(37.33)	तलाकशुदा 110(36.66)	–	300 (100.00)
3	शैक्षणिक स्तर	अशिक्षित 30 (10.00)	स्कूल स्तर 88 (21.33)	कॉलेज स्तर 172(57.33)	–	300 (100.00)
4	जाति/वर्ग	सामान्य 168(56.00)	पिछड़ी 95 (31.66)	अनु.जाति 37 (12.33)	–	300 (100.00)
5	आय वर्ग	उच्च 175(58.33)	मध्यम 95 (31.66)	निम्न 30 (10.00)	–	300 (100.00)
6	परिवेश	ग्रामीण 35 (11.66)	नगरीय 155(51.66)	कस्बाई 110(36.66)	–	300 (100.00)
7	परिवार का स्वरूप	संयुक्त 120(40.00)	एकाकी 180(60.00)	विस्तारित 00 (00.00)	–	300 (100.00)

(नोट– कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।)

उक्त तालिका नम्बर–1 महिला न्यादर्शों की सामाजिक–आर्थिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है।

दहेज निरोधक अधिनियम–1961– दहेज निरोधक अधिनियम–1961 में कुल मिलाकर 10 धाराएँ हैं। धारा 3 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है या देने लेने में सहायता करता है तो उसे 6 माह का कारावास एवं 5000 रु. तक जुर्माना हो सकता है। परन्तु धारा–7 के अन्तर्गत अदालत भी दहेज निरोधक अधिनियम–1961 के अन्तर्गत होने वाले अपराधों पर विचार करेगी जिसकी शर्त यह है कि उसकी शिकायत लिखित में हुई है। शिकायत किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के कोर्ट में की जाए तथा दहेज लेने देने के एक वर्ष के अन्तर्गत ही यह शिकायत की जाय। यह अधिनियम कई कारणों से आशातीत परिणाम पाने में असफल एवं असमर्थ रहा है। अतः इसमें संशोधन की परमावश्यकता है एवं वांछनीय भी है।

अनुसंधित्सु ने दहेज निरोधक अधिनियम के सम्बन्ध में निदर्शित सूचनादाताओं की मनोवृत्तियां जानने का प्रयास किया है, जिस पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नम्बर–2 : दहेज निरोधक अधिनियम के प्रति निदर्शितों के दृष्टिकोण

क्रम	मनोवृत्तियाँ	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	पक्ष	205	68.33
2	विपक्ष	37	12.33
3	उदासीन	30	10.00
4	अनुत्तरित	28	9.33
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका नम्बर–2 के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 300 महिला सूचनादाताओं में से 205(68.33 प्रतिशत) सूचनादाताएँ पक्ष में, 37(12.33 प्रतिशत) विपक्ष में, 30 (10 प्रतिशत) उदासीन, 28(9. 33 प्रतिशत) अनुत्तरित पायी गयीं। परन्तु महिला सूचनादाताओं से प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्राप्त हुए हैं–

तालिका नम्बर–3 दहेज निरोधक अधिनियम के प्रति निदर्शितों की प्रतिक्रियाएँ

क्रमांक	अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियाएँ	आवृत्तियाँ		योग
		पक्ष में	विपक्ष में	
1.	दहेज निरोधक अधिनियम निष्प्रभावी मात्र है	290 (96.67)	10 (3.33)	300 (100)
2.	दहेज निरोधक अधिनियम का परिपालन कदापि नहीं हो रहा है–			
	क– दहेज खुलकर लिया जा रहा है	300 (100)	– (0.00)	300 (100)
	ख– दहेज खुलकर दिया जा रहा है	300 (100)	– (0.00)	300 (100)
	ग– दहेज के खुलकर सौदे होते हैं	300	–	300

		(100)	(0.00)	(100)
3.	अधिक दहेज के कारण नव बधुएँ दहेज की बलि वेदी पर चढ़ाई जा रही हैं	300 (100)	— (0.00)	300 (100)
4.	देहज अभिशाप (कलंक एवं कोढ़) के समान है	300 (100)	— (0.00)	300 (100)

उपरोक्त तालिका नम्बर–3 के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 300 निदर्शितों में से शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने यह स्वीकार करते हुये प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं कि–

1. दहेज समाज के लिए कलंक (अभिशाप) है
2. अधिक दहेज के प्रचलन के कारण नव बधुएँ दहेज की बलि वेदी पर चढ़ाई जा रही हैं।
3. दहेज खुलकर लिया तथा दिया जा रहा है।
4. दहेज निरोधक अधिनियम दिखावा मात्र है।

अनुसंधित्सु ने सूचनादाताओं से एक प्रश्न किया कि आप उपरोक्त निष्कर्ष किस आधार पर दे रहे हैं? प्रत्युत्तर इस सन्दर्भ प्राप्त हुए हैं। उनका सन्दर्भ निम्नवत् है–

1. अधिनियम समाज में संतुलन तथा सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए होते हैं, जबकि प्रस्तुत अधिनियम नितान्त निष्प्रभावी व असफल हैं।
2. समाज में विवाह–विच्छेदों की दर बढ़ी है।
3. दहेज के सही मुकदमे न्यायालयों में न पहुंचकर झूठे व फर्जी मुकदमे पहुँच रहे हैं।
4. नव वधुओं की असामाजिक मौतें भी दहेज से जोड़ दी जाती हैं।
5. दहेज के कारण आत्महत्याओं की दर बढ़ी है।
6. अपराधों की दर बढ़ी है, आदि–आदि ।

स्पष्टतः दहेज निरोधक अधिनियम में अतिशीघ्र संशोधन वांछनीय है, अथवा नहीं, की स्थिति पर निम्न तालिका सूचनादाताओं के दृष्टिकोण पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नम्बर–4 दहेज निरोधक अधिनियम में संशोधन के प्रति निदर्शितों के अभिमत

क्रमांक	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पक्ष में	184	61.33
2.	विपक्ष में	5	1.67
3.	उदासीन	108	36.00
4.	उत्तर नहीं दिए	3	1.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 300 महिला सूचनादाताओं में से 184(61.33 प्रतिशत) ने दहेज निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत संशोधन होने चाहिए, 5(1.67 प्रतिशत) ने विपक्ष में, 108(36.00 प्रतिशत) ने उदासीन दृष्टिकोण और 3(1.00 प्रतिशत) ने उत्तर ही नहीं दिए। स्पष्टतः संशोधन अनिवार्यतः वांछनीय है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : दहेज निरोधक अधिनियम–1961 के पक्ष में शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने दृष्टिकोण दर्शाए हैं, परन्तु अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करते हुए 96.67 प्रतिशत सूचनादाताओं ने दहेज निरोधक अधिनियम को निष्प्रभावी बताया, शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया कि दहेज लेना एवं देना दोनों की अपराध हैं। किन्तु फिर भी दहेज खुलकर लिया जा रहा है। यहाँ तक कि समाज में दहेज के खुलकर बड़े बेशर्मी से सौदे होते हैं। यह कैसी विडम्बना है? और कैसा कानून? यहाँ तक कि दहेज की बलिवेदी पर कितनी ही नव बधुओं की बलि चढ़ाई जा रही है। इस प्रकार दहेज को समाज का कलंक एवं अभिशाप बताया है।

उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु निम्नांकित सुझाव कारगर सिद्ध हो सकते हैं– शोधार्थी ने सूचनादाताओं से प्रश्न किए कि दहेज निरोधक अधिनियम को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सुझाव दें तो प्रत्युत्तर में शत–प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया कि दहेज निरोधक अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू किया जाय एवं दोषियों को कठोरतम दण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, ताकि उल्लंघन करने वालों से समाज के अन्य व्यक्ति भी सबक लें। सरकार की कथनी व करनी में अन्तर न हो तो दहेज निरोधक अधिनियम महिलाओं की प्रस्थिति सुधारने में सक्षम हो सकेगा। महिलाओं को भी शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाया जाए जिससे वे अपने ऊपर हो रहे अन्याय व अत्याचार का प्रतिकार करने में सक्षम हो सकें।

सन्दर्भ सूची

1. होल्म्स पी.के. सोशल लेजिस्लेशन; इट्स रोल इन सोशल वेलफेयर, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया पब्लिकेशन्स, 1956, पृ. 32
2. रस्तोगी अरुन "स्टेट्स ऑफ वूमेन" इण्डियन काउन्सिल ऑफ स्पेशल साइंस रिसर्च पब्लिकेशन्स न0 107, 1977
3. वाडिया एस.एच. आधुनिक भारत में सामाजिक समस्याएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी (राज.) जयपुर 1983 पृ. 57
4. अग्रवाल ऊषा दहेज एवं आत्महत्याएँ, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, 23 सितम्बर 1990, पृ. 8
5. सिंह एस.डी. वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर, 1986, पृ. 5